



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

परिवहन मार्ग, मुख्यालय, जयपुर, 302001

दूरभाष: 0141-2373043/44/51/54/37/48/2368847/2360834

क्रमांक: एफ 4/मु०/वित्त/2026/ 5386

दिनांक:- 21/10/26

-: सूचना:-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों के पालना में, Retiral Dues and other Benefits के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावों के परीक्षण एवं निर्धारण हेतु राजस्थान राज्य के किसी भी सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त लेखा कर्मिकों (लेखाकार या इससे उच्च पद से आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने हेतु आमंत्रण पत्र

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर सिविल स्पेशल अपिल (रिट) संख्या 191/2026 राजेन्द्र सिंह छावा बनाम राजेश्वर सिंह व अन्य तथा 09 डी.बी. स्पेशल याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 23.08.2026 तथा अन्य समानार्थी अवमानना याचिकाओं में पारित आदेशों की पालना में दावाकारों के Retiral Dues and other Benefits के संबंध में प्रस्तुत दावों के परीक्षण एवं निर्धारण हेतु राजस्थान राज्य के किसी भी सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त लेखा कर्मिकों (लेखाकार या इससे उच्च पद) से आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने हेतु संलग्न प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

- आवेदन वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, मुख्यालय जयपुर पिन कोड 302001 के नाम से प्रेषित किये जायेंगे।
- आवेदन का माध्यम ऑफलाईन होगा।
- आवेदन की अंतिम तिथि 16.11.2026 हैं।
- निगम किसी भी आवेदन को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

कार्य का विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के किसी भी सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा Retiral Dues and other Benefits के संबंध में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत दावों का सेवानिवृत्त लेखा कर्मिकों द्वारा परीक्षण एवं निर्धारण किया जाना है।
2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा Retiral Dues and other Benefits के संबंध में दायर सभी दावे निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा आर्बिट्रेटर के रूप में नामित सेवानिवृत्त लेखाकर्मियों को प्रेषित किए जाएंगे, जो दोनों पक्षों (दावाकर्ता एवं निगम) को सूचित करते हुए संबंधित आगार में अपनी सुविधानुसार सुनवाई की तारीख तय करेगा। मुख्य प्रबंधकों द्वारा प्रत्येक कर्मचारी का संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, जो भी दावे के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, निगम द्वारा नियुक्त/नामित सेवानिवृत्त लेखाकर्मियों को उपलब्ध कराया जावेगा।
3. प्रत्येक डिपो के मुख्य प्रबंधक द्वारा सेवानिवृत्त लेखाकर्मियों को एक उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जावेगा, जहां सेवानिवृत्त लेखाकर्मियों बैठ सके एवं सुनवाई कर सके।
4. प्रत्येक कर्मचारी / दावेदार द्वारा आर्बिट्रेटर को 500/- रूपए का मानदेय देना होगा एवं निगम भी 2000/- रूपये राशि का भुगतान करेगा। उक्त उल्लेखित राशि में से, राशि का आधा (250/- रूपये दावेदार) पहली सुनवाई के समय आर्बिट्रेटर को दावेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा। शेष राशि (250/- रू. दावेदार) एवं निगम द्वारा राशि 2000/-रूपये का भुगतान पक्षकारों द्वारा अंतिम अवार्ड पारित किए जाने के पश्चात मासिक रूप से प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

2000/-रूपये का भुगतान पक्षकारों द्वारा अंतिम अवार्ड पारित किए जाने के पश्चात मासिक रूप से प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

5. निगम भी कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए दावे के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. सेवानिवृत्त लेखाकर्मियों/आर्बिट्रेटर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों के क्रम में निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के अनुसार उक्त दायर दावों पर, संक्षिप्त कार्यवाही करनी होगी और उसमें देय राशि का दावावार विवरण दर्शाते पारित करना होगा।

7. आर्बिट्रेटर के रूप में नामित सेवानिवृत्त लेखाकर्मियों द्वारा उक्त कार्य के संबंध में आदेशों/निर्देशों के अनुरूप परीक्षण / कार्य करते हुए ही अवार्ड पारित किया जाएगा।

8. मृतक कर्मचारी के मामले में उसकी पत्नी या कानूनी प्रतिनिधि दावे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

9. निगम सेवानिवृत्त लेखाकर्मियों को उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित इच्छुक डिपो करने के लिये बाध्य नहीं है। निगम द्वारा सेवानिवृत्त लेखाकर्मियों को प्राप्त दावों की अनुसार किसी भी डिपो/एक से अधिक डिपो का कार्य आवंटित किया जा सकता है।


(पुरुषोत्तम शर्मा)

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 01/10/2026

क्रमांक: एफ 4/मु०/वित्त/2026/ 5386

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. कार्यकारी निदेशक (प्रशा०/याता०/यांत्रिक/विधि) रा.रा.प.प. निगम मुख्यालय जयपुर।

2. महा प्रबंधक (), संयुक्त महा प्रबंधक () रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय जयपुर।

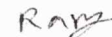
3. उप महा प्रबंधक (), कार्यकारी प्रबंधक () रा.रा.प.प. निगम मुख्यालय जयपुर।

✓ 4. उप महा प्रबंधक (आई.टी.) रा.रा.प.प. निगम मुख्यालय जयपुर को निगम वेबसाइट पर अपन हेतु प्रेषित है।

5. मुख्य प्रबंधक / इकाई प्रभारी रा.रा.प.प. निगम समस्त आगार / इकाई को संबंधित सेवा कार्मिकों को सूचित करने हेतु प्रेषित है।

6. समस्त सेवानिवृत्त लेखा कार्मिक, रा.रा.प.प.निगम।

7. रक्षित पत्रावली


वित्तीय सलाहकार
01/10/2026